

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 16-9-2020

-कार्यालय जाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेटो कार्यालय और इन्डिया नई दिल्ली द्वारा सैशिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश बनना इति सहित अन्य मांगों पर विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक में नद-3 में दिल्लीमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं को प्रवर्तन रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

- निम्नी क्षेत्र में स्थापित दिल्लीमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआई द्वारा उन्हें मथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को आठ सम्बद्धता समिति की बैठक में निचे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उलने अंकित प्रवेश बनना हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1024	दिल्लीमा इन फार्मेटो इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दिल्ली- कल्याणपुर, मुन्दापूर क्षेत्र, गानपुर, दिल्ली।	डिप्लोमा इन कार्पेटी	00	00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संकाय एअर/सिटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ माध्यम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, रीगुलेशन विनियमवली-2018 एवं अन्य विहित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करनी तथा मुक्त विज्ञापन सभितों द्वारा निर्धारित शुल्क तीन महीने इतनी संपूर्णतः हेतु रु 32,150.00/- (तीस हजार दो सौ बीस रुपये) हेतु रु- 43,000.00/- (अस्सी हजार रु 100 अथवा दो सौ रुपये सहायकता) [21 सौ रुपये फार्मेटो पाठ्यक्रम के अधीनस्थ] हेतु रु-22,300.00 (अस्सी हजार दो सौ रुपये) मात्र/प्रति।

*(Handwritten Signature)*





**कार्यालय,**

**प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या:- प्राशिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

**कार्यालय जय:-**

प्रतिमान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संकल्प हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम। प्रदेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिधे गये निर्णय के अनुषंग में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ।पा. लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1024-PRATHVIRAJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES VIII-  
CHAKRAJMAL,MORADABAD ROAD,DHAMPUR,BLJNOR-246761

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	हेतु अनुमोदित प्रदेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रदेश क्षमता 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवाली 1962, सेक्टर विनियमनवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाशों होंगे, और तदुत्तर कार्यावाही किया जाता आवश्यक होगा। निम्न निर्धारण समिति द्वारा बट्टे सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की सर्वोत्तम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 3000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमनवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के रिक रट जगह की स्थिति में उक्त प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सार्वजनिक के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आरक्षणी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिनिर्णय/सांख्यिकी/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का

**Director**  
Prathviraj Chauhan Institute of  
Medical Science  
Chakrajmal (Dhampur)





**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद सखनऊ/2022/8785

सखनऊ दिनांक: 20/09/2022

**:-आर्थात्तक जाय:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय काउन्सिल ऑफ इड्युकेषन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता एवं से संघालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहीत अन्य जटी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1024-PRATHVIRAJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित वी सवीं शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992, विनियमनवली-2000, रजिस्टर विनियमनवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्नेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पत्नीक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाता जायजक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु वीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियंत्रण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि-विनियम/अधिनियम/शासनादेशों/शिर्दों एवं सिद्देश, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था

Director  
Prathviraj Chauhan Institute of  
Medical Science  
Chhatrapati (Chhatra)

का होगा और विधिवत रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याच दायर किया जाता है तथा टावर याच के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (अउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त-समय पर निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था जो अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किए जाने वाला शुल्क, प्रकाशना शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैलिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-संपन्न, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सज्जदाता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निपजानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एफ0आई0 ब्रान)

सचिव

पू0सं0- प्रावि/परिषद सन्बद्धता/2022/6786-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक PRATHVIRAJ INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES



(एफ0आई0 ब्रान)

सचिव